सिफनेट में संविधान दिवस समारोह

सिफनेट के मुख्यालय कोच्ची, चेन्नई और विशाखपट्टनम में 26/11/2020 को संविधान दिवस मनाया गया । इस अवसर पर सुबह 11.00 बजे भारत के संविधान की उद्देशिका पढी गई। सिफनेट मुख्यालय में श्री एम. जी मकवाना , मुख्य अनुदेशक (एम ई) एवं प्रभारी निदेशक ने उद्देशिका पढी, जिसे अधिकारियों, संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों ने दोहराया। इसी तरह सिफनेट के चेन्नई और विशाखपट्टनम इकाइयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता से संविधान दिवस मनाया गया ।

सिफनेट मुख्यालय, कोच्ची में संविधान दिवस समारोह

सिफनेट इकाई, चेन्नई

सिफनेट इकाई, विशाखपट्टनम

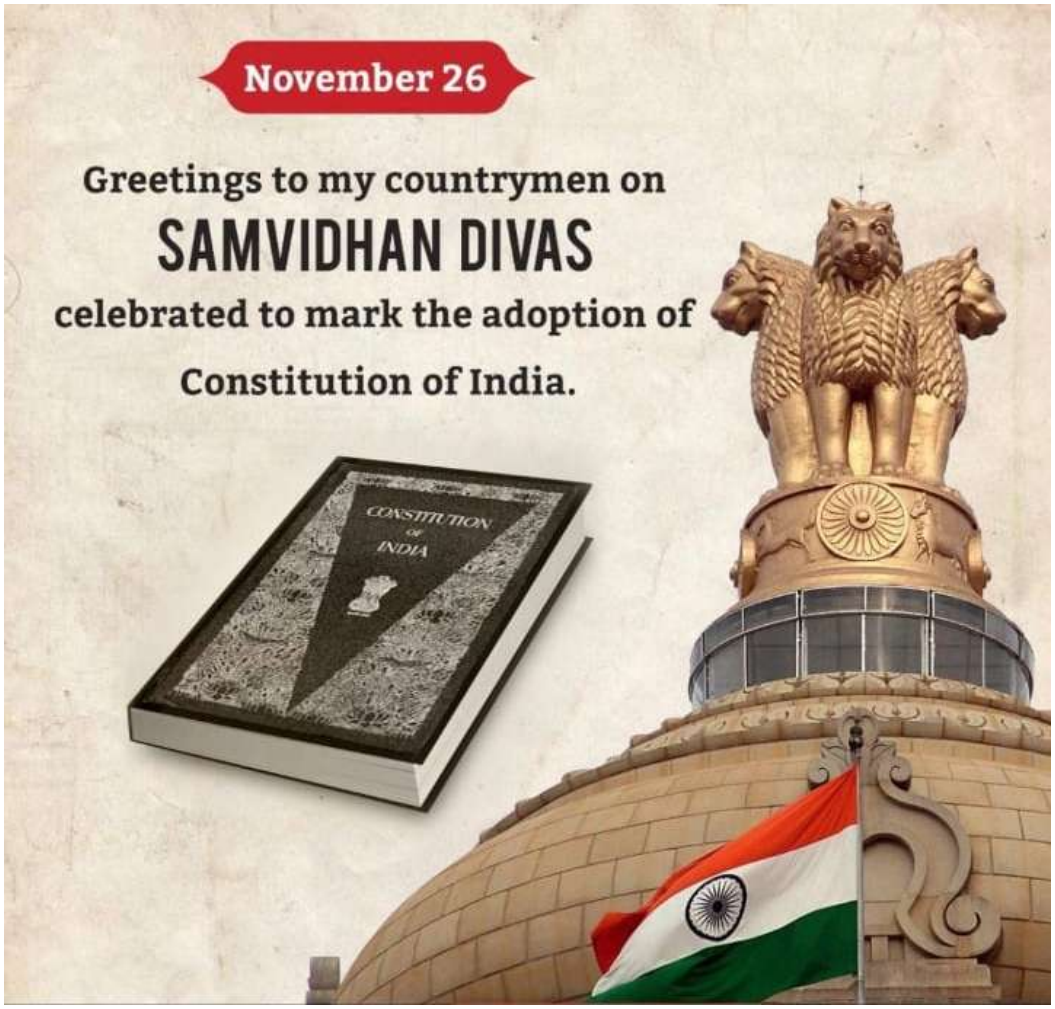
November 26
Greetings to my countrymen on
SAMVIDHAN DIVAS
celebrated to mark the adoption of
Constitution of India.
CONSTITUTION of INDIA

NATIONAL
CONSTITUTION
DAY
संविधान दिवस
Constitution day
26 November 2020.
केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL AND ENGINEERING TRAINING

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

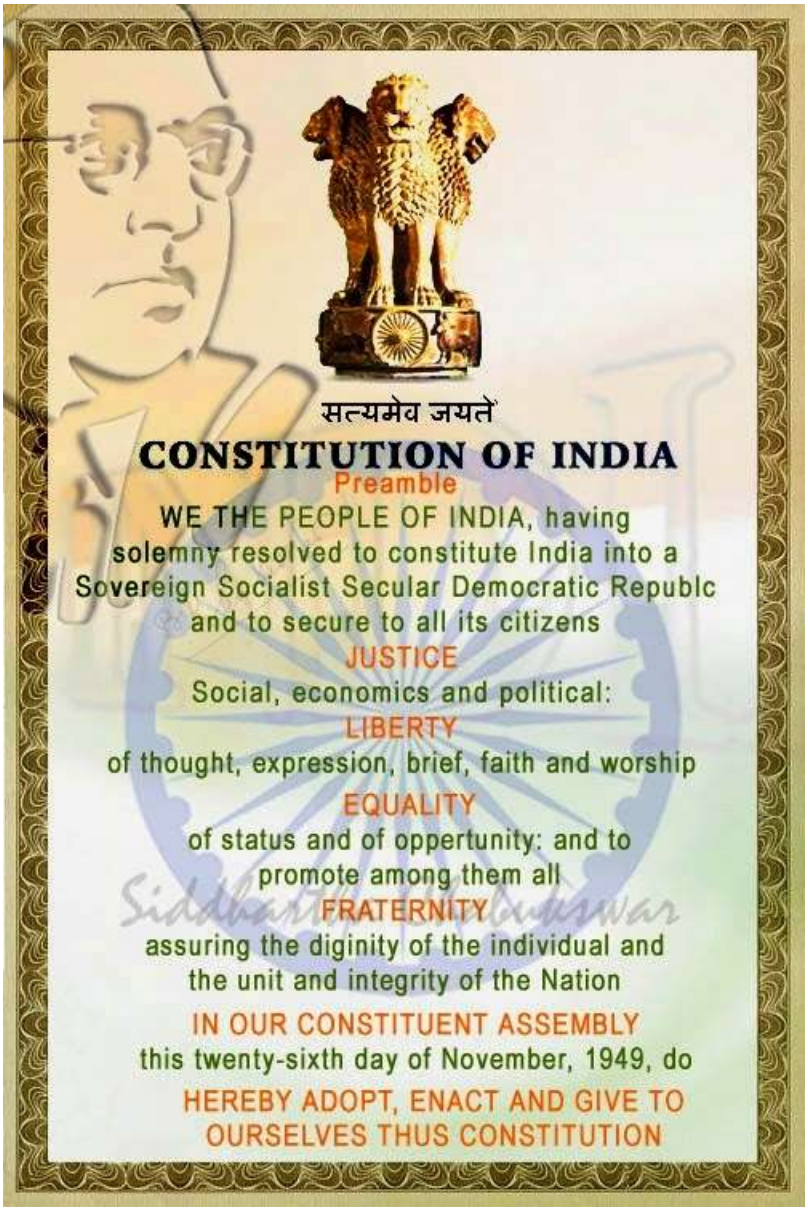

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE THE PEOPLE OF INDIA, having
solemny resolved to constitute India into a
Sovereign Socialist Secular Democratic Republc
and to secure to all its citizens

JUSTICE

Social, economics and political:

LIBERTY

of thought, expression, brief, faith and worship

EQUALITY

of status and of oppertunity: and to
promote among them all

FRATERNITY

assuring the diginity of the individual and
the unit and integrity of the Nation

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THUS CONSTITUTION